राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

3 AUG 2018

क्रमांक : प.7(11)नविवि/2014 जयपुर, दिनांक

परिपत्र

भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में विकसित भूमि दिये जाने बाबत विभागीय परिपत्र क्रमांक प.7(11)नविवि/2014 दिनांक 22.12.14 जारी किया गया था। इस परिपत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि अवाप्त भूमि के बदले 25 प्रतिशत विकसित भूमि दी जावेगी, जिसमें 20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यावसायिक भूमि दी जावेगी। अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि देने हेतु एक समिति का गठन किया गया था, जो निम्न प्रकार है:–

1. संबंधित प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय का अध्यक्ष।
2. संबंधित प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय का सचिव।
3. संबंधित प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय का वित्तीय एवं लेखा शाखा का प्रमुख।
4. नगर नियोजन विभाग का प्रतिनिधि।
5. वरिष्ठतम विधि अधिकारी।

उक्त समिति में आयुक्त, प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय को सम्मिलित नहीं किया गया है। जबकि प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय में आयुक्त सबसे उच्च पद पर आसीन होता है एवं समस्त प्रशासनिक कार्यो का उत्तरदायी होता है। ऐसी स्थिति में परिपत्र दिनांक 22.12.14 के बिन्दु संख्या 6 को संशोधित करते हुये समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:–

1. संबंधित प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय का अध्यक्ष।
2. संबंधित प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय का आयुक्त।
3. संबंधित प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय का सचिव।
4. संबंधित प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय में पदस्थापित वित्तीय एवं लेखा शाखा का प्रमुख।
5. नगर नियोजन विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी।
6. संबंधित प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय में पदस्थापित वरिष्ठतम विधि अधिकारी।

sd
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग।
2. आयुक्त/सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास, राजस्थान।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाये जाने हेतु प्रेषित है।
9. रक्षित पत्रावली।

Shri Manish 6/8

3/8/18
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम